GCMS संख्या 2022/59
प्रकरण संख्या 31/22
महेश चन्द्र बनाम राज्य सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/104

प्रकरण संख्या 60/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री महेश चन्द्र ब्राह्मण

बनाम

तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 01.08.2022

1. प्रार्थी श्री महेश चन्द्र ब्राह्मण पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी नीमड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा हमेरपुरा पटवार मण्डल भोपाखेड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 172 आराजी संख्या 547 रकबा 0.2200 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे बसन्ती पत्नि हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्रह्मण, रामगोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण, लक्ष्मीलाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण के नाम रेकर्ड दर्ज है।

2. उपरोक्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड में मौजा हमेरपुरा पटवार मण्डल भोपाखेड़ा की जमाबन्दी सवंत् 2050–53 में खाता संख्या 128 आराजी नम्बर 326 रकबा 0–17 बीघा, आराजी नम्बर 327 रकबा 0–03 बीघा, कुल किता 2 कुल रकबा 1–00 बीघा भूमि रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हीरालाल एव मु. बसन्ती बेवा हीरालाल ब्रा. से नामान्तरण सेख्या 451/19.02.2002 डिक्री से महेशचन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा के नाम दर्ज रेकर्ड थी जो वर्तमान नवीन बन्दोबस्त के दौरान जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 172 आराजी संख्या 547 रकबा 0.2200 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे बसन्ती पत्नि हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्रह्मण, रामगोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण, लक्ष्मीलाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण त्रुटि से कर दी गई है जिसे शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया है।

3. अतः तहसीलदार भीण्डर ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा हमेरपुरा पटवार मण्डल भोपाखेड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 172 आराजी संख्या 547 रकबा 0.2200 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे बसन्ती पत्नि हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्रह्मण, रामगोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण, लक्ष्मीलाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण के नाम रेकर्ड दर्ज है जबकि भूमि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड में मौजा हमेरपुरा पटवार मण्डल भोपाखेड़ा की जमाबन्दी सवंत् 2050–53 मे खाता संख्या 128 आराजी नम्बर 326 रकबा 0–17 बीघा, आराजी नम्बर 327 रकबा 0–03 बीघा, कुल किता 2 कुल रकबा 1–00 बीघा भूमि रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हीरालाल एव मु. बसन्ती बेवा हीरालाल ब्रा. से नामान्तरण सख्या 451/19.02.2002 डिक्री से महेशचन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सा. देह निमड़ी के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसे बन्दोबस्त बाद भूमि रेकर्ड की रिथति अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 172 आराजी संख्या 547 रकबा 0.2200 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे बसन्ती पत्नि हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्रह्मण, रामगोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण, लक्ष्मीलाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. सलूम्बर के नाम दर्ज रेकर्ड है।

4. तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार जमाबन्दी संवत् 2050–53 की खाता संख्या 128 आराजी नम्बर 326 रकबा 0–17 बीघा, आराजी नम्बर 327 रकबा 0–03 बीघा, कुल किता 2 कुल रकबा 1–00 बीघा भूमि नामान्तरण सख्या 451/19.02.2002 डिक्री से रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हीरालाल एव मु. बसन्ती बेवा हीरालाल ब्राह्म्ण हिस्सा पूर्ण के बजाय महेशचन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा सा. देह निमड़ी के नाम दर्ज रेकर्ड है लेकिन भू–प्रबन्धन की कार्यवाही के दौरान डिक्री का अमलदरामद छुट गया है। अतः तहसीलदार भीण्डर ने निवेदन किया है कि वर्तमान प्रविष्टि रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हिरालाल, मु. बसन्ती बेवा हिरालाल ब्राह्म्ण हिस्सा पूर्ण को विलोपित कर महेश चन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा ब्राह्म्ण सा. निमड़ी हिस्सा पूर्ण दर्ज किये जाने हेतु मय अनुशंषा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमने तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अवलोकन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी श्री महेश चन्द्र ब्राह्म्ण द्वारा की गई बहस सूनी गई तथा प्रार्थी द्वारा किये गये तर्को पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो जिनमें मिलान खसरा जिसमें साबिक नम्बर 326, 327 रकबा 1–0 बीघा के नये नम्बर 547 रकबा 0.2200 हैक्टेयर जो जमाबन्दी संवत् 2050–53 तथा जमाबन्दी संवत् 2078–81 एवं मिलान खसरा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिसमें मौजा हमेरपुरा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खैरोदा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 128 की आराजी संख्या 326 रकबा 0–17 बीघा एवं आराजी संख्या 327 रकबा 0–03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1–0 बीघा भूमि रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हीरालाल एव मु. बसन्ती बेवा हीरालाल ब्रा. से नामान्तरण सेख्या 451/19.02.2002 डिक्री से महेशचन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा के नाम दर्ज रेकर्ड थी लेकिन भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा नामान्तरण से पूर्व की स्थिति दर्ज कर दी जिसमें रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हिरालाल, मु. बसन्ती बेवा हिरालाल ब्राह्म्ण सा.देह सलूम्बर के नाम दर्ज हो गयी। हमने न्यायालय की डिक्री मुकदमा नम्बार 61/99 महेश चन्द्र बनाम रामगोपाल ... दिनांक 24.12.2001 एवं नामान्तरण सख्या 451 स्वीकृत दिनांक 19.02.2002 के द्वारा रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हिरालाल, मु. बसन्ती बेवा हिरालाल ब्राह्म्ण सा.देह सलूम्बर के स्थान पर महेशचन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा सा. देह निमड़ी के नाम दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रसतुत खाता शुद्धि प्रकरण के संबंध में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों कों भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं माननीय राजस्व

Scanned by CamScanner

GCMS संख्या 2022/59
प्रकरण संख्या 31/22
महेश चन्द्र बनाम राज्य सरकार

मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः हम यह मानते है कि भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा न्यायालय डिक्री मुकदमा नम्बार 61/99 महेश चन्द्र बनाम रामगोपाल वगैराह दिनांक 24.12.2001 भू-प्रबन्धन के पूर्व नामान्तरण सख्या 451 दिनाक 19.02.2002 से द्वारा रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हिरालाल, मु. बसन्ती बेवा हिरालाल ब्राह्म्ण सा.देह सलूम्बर के बजाय महेशचन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा सा. देह निमड़ी के नाम दर्ज हुई जिसको भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा पूर्व स्थिति रखते हुए पुनः पूर्व खातेदार द्वारा रामगोपाल, लक्ष्मीलाल पिता हिरालाल, मु. बसन्ती बेवा हिरालाल ब्राह्म्ण सा.देह सलूम्बर के नाम कर दी जिसको सही करना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर मौजा हमेरपुरा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत खैरोदा तहसील भीण्डर की जमाबन्दी सम्वत् 2078-81 के खाता संख्या 172 आराजी संख्या 547 रकबा 0.2200 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे बसन्ती पत्नि हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्रह्मण, रामगोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण, लक्ष्मीलाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण के बजाय महेशचन्द्र पिता भागीरथ दत्तक पुत्र खुमा चौबिसा सा. देह निमड़ी हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

1/8/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner